संख्या:40/2026/215/आठ-1-26/1955536

प्रेषक,

राजेश कुमार राय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 25 फरवरी, 2026

विषय:- लखनऊ नगर के यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु गोमती नदी पर फ्लड पम्पिंग स्टेशन से बैकुण्ठधाम तक चार लेन ब्रिज के निर्माण संबंधी परियोजना की द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति (2025-26) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-337/वीसी/इइ-जीसी/25, दिनांक 19.02.2026 एवं शासनादेश संख्या-92/2025/1476/आठ-1-25/1955536, दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **लखनऊ नगर के यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु गोमती नदी पर फ्लड पम्पिंग स्टेशन से बैकुण्ठधाम तक चार लेन ब्रिज के निर्माण संबंधी परियोजना** की मूल्यांकित लागत रू0 6736.59 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 2357.80 लाख (रूपये तेइस करोड़ सत्तावन लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रश्नगत परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) सेतु का निर्माण कार्य गोमती नदी पर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त के दृष्टिगत उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया जाये, जिसमें मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग एवं मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्मिलित हों। इसी तकनीकी समिति की देख-रेख में प्रस्तावित निर्माण कार्य कराया जाये।

(3) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, **2021** के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश संख्या-5/2021/फाईल नं0-65-2013/2/2019-2, दिनांक 15 जनवरी, **2021** के अनुपालन में दिव्यांगजन हेतु हितैषी/बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा **"Harmonized guidelinesand standars for universal accessibility in india, 2021"** दिये गये प्रावधानों के अनुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) प्रायोजना में प्रस्तावित नदी सेतु एवं पहुँच मार्ग आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण संबंधित **IRC**/लोक निर्माण विभाग के सुसंगत मानकों **(Standards)** के

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार कराये जाने का उत्तरदायित्व लखनऊ विकास प्राधिकरण/कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) प्रस्ताव का परीक्षण लागन आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। 04 लेन नदी सेतु निर्माण की जी0ए0डी0 लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, एबेटमेन्ट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(7) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/लखनऊ विकास प्राधिकरण का होगा।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) कार्यदायी संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) कार्य की विशिष्टियॉं, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की होगी तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(12) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी बैंक/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में शासन को निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना में सामाग्री का क्रय सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(15) कार्य की द्विरावृति को रोकने के दृष्टि से लखनऊ विकास प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित/प्रस्तावित है।

(16) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

(17) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां (सिंचाई, लोक निर्माण एवं यातायात विभाग) एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(18) लखनऊ विकास प्राधिकरण को सेन्टेज देय नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(19) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय वित्त समिति के कार्यवृत्त दिनांक 16.10.2025 द्वारा लगायी गयी समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(20) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत **(CONSUMED)** हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट/स्टील/ग्रिट/मौरंग/ई0एण्डएम0 इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये।

(21) जी0एस0टी0सी0 के संबंध में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13.09.2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) योजनान्तर्गत सम्मिलित बॉट आउट आइटम्स के संबंध में वित्त लेखा, अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-9/2022/ए-1-357/दस/2022-10(55)/2000, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के प्राविधानों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(23) लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**6/2025**/बी-**1-352**/दस-**2025-231/2025**, दिनांक **27** मार्च, **2025** में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) स्वीकृत धनराशि का बिल आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लेखा अनुभाग द्वारा बनाया जायेगा तथा उसे तत्काल कोषागार से आहरित करके आहरण

http://shasanadesh.up.nic.in

के बाउचर संख्या व तिथि की सूचना शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को दी जायेगी। आहरित धनराशि कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी।

(25) उक्त परियोजना की नोडल एजेन्सी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण होगी। कार्यदायी संस्था-लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नोडल एजेंसी-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के माध्यम से स्वीकृत कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) प्रायोजनान्तर्गत सेतु के निर्माण हेतु थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु प्रस्तावित लागत आंकलित लागत को फिलहाल सम्मिलित नहीं किया गया है। थर्डपार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल हेतु सेतुओं के निर्माण के संबंध में पालिसी जारी होने के उपरान्त इस मद में धनराशि भविष्य में नियमानुसार देय होगी। कृपया व्यय वित्त समिति/लखनऊ विकास प्राधिकरण संज्ञान लेना चाहें।

(27) प्रायोजनान्तर्गत स्टील (सरिया) का रेट स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत दरों के आधार पर प्रस्तावित किया गया है। निर्माण के समय प्रशासकीय विभाग/लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सेतु के निर्माण कार्य में स्टील अथारिटी ऑफ इण्डिया द्वारा उत्पादित सरिया ही उपयोग में लाया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में यह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(28) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-**01/2023**/ए-**2-60**/दस-**2023-17(4)/75**, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना का वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायें।

http://shasanadesh.up.nic.in

(29) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 235780000.00 (रूपये तेईस करोड़ सत्तावन लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-002 लेखा शीर्षक 4217608000500 लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-**6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025**, दिनांक **27 मार्च, 2025** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश कुमार राय

विशेष सचिव।

संख्या:40/2026/215(1)/आठ-1-26/1955536, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति सहित ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ।
5. सचिव/वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण का बैंक खाता (राष्ट्रीयकृत बैंक) एवं आई0एफ0एस0सी0 कोड की सूचना ईमेल आई0डी0

http://shasanadesh.up.nic.in

**ddoawash@gmail.com** पर एवं हार्डकापी लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल उपलब्ध कराये।

6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ को शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
10. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
12. लेखा अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि धनराशि का कोषागार से आहरण कर लखनऊ विकास प्राधिकरण के खाता संख्या में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,
गिरीश चन्द्र मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in